तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल0आर0/2467/2005/अजमेर** **ईद मोहम्मद व अन्य बनाम झमकू व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थित :

श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट ।

श्री अजीत सिंह राठौड़, श्री रामसुख चौधरी, श्री शिवप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 ।

—

निर्णय

दिनांकः— 31.05.2023

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अंतर्गत भू–प्रबंध अधिकारी, अजमेर द्वारा अपील संख्या 15/99 बउनवानी रामकरण बनाम ईद मोहम्मद में पारित निर्णय दिनांक 16.05.2000 के विरूद्ध पेश की गई है ।

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर (पुराने 2854) नए खसरा नंबर 634, 636, 637 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा वाके स्थित केकड़ी तहसील केकड़ी की खातेदार झूमली बेवा बेली खां थी झूमली के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजी का नामांतकरण अपीलांट संख्या 1 ईद मोहम्मद के नाम नामांतकरण संख्या 721 दिनांक 06.03.1997 सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, अजमेर द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसके विरूद्ध रेस्पो0 ने अपील भू–प्रबंध अधिकारी, अजमेर के समक्ष पेश की जो उनके निर्णय दिनांक 16–05–2000 के द्वारा गैर कानूनी रूप से स्वीकार कर ली गई जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल0आर0/2467/2005/अजमेर** **ईद मोहम्मद व अन्य बनाम झमकू व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि भू–प्रबंध अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। ईद मोहम्मद ने जरिए पंजीबद्ध विक्रय पत्र द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान निर्मला देवी, अब्दुल रजाक, अशोक कुमार को कर दिया एवं उक्त बेचान के आधार पर अब्दुल रजाक, निर्मला देवी, अशोक कुमार के नाम नामांतकरण संख्या 132 दिनांक 03.05.2002 स्वीकृत किया गया, तत्पश्चात् अशोक कुमार ने आराजी का बेचान चन्दो देवी व रामकिशन को कर दिया एवं रामकिशन ने राजेन्द्र कुमार को बेचान कर दिया। चंदो देवी एवं राजेन्द्र कुमार के नाम नामांतकरण संख्या 388 दिनांक 16.05.2002 स्वीकृत किया गया। विपक्षी ने भू–प्रबंध अधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील में जान बूझकर अपीलांट्स/क्रेताओं को पक्षकार नहीं बनाया। वक्त क्रय से ही अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी पर निरंतर काबिज काश्त चले आ रहे है एवं राजस्व रिकार्ड में भी अपीलांट्स के नाम नामांतकरण स्वीकृत किया जा चुका है। उक्त बिन्दु पर गौर न कर अपीलांट्स के विरूद्ध निर्णय पारित कर भू–प्रबंध अधिकारी ने त्रुटि कारित की है। भू–प्रबंध अधिकारी ने अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर न देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया कि राजस्व न्यायालय ने घोषणात्मक वाद विचाराधीन है यहां यह गौरतलब है कि विपक्षी द्वारा किया गया वाद निरस्त किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एकपक्षीय निर्णय है जो प्राकृतिक न्याय की मंशा के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। विपक्षी द्वारा वाद में अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा दिनांक 04.02.2002

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल0आर0/2467/2005/अजमेर** **ईद मोहम्मद व अन्य बनाम झमकू व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

को निरस्त कर दिया, जिसके विरूद्ध विपक्षी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील पेश की जो भी निरस्त कर दी गई, उक्त बिन्दु पर गौर न कर भू–प्रबंध अधिकारी ने अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित कर त्रुटि कारित की है। भू–प्रबंध अधिकारी के समक्ष अपील में विपक्षी ने अपीलांट्स/क्रेताओं को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया, जिससे उपरोक्त सभी तथ्य प्रकट नहीं हो सकें। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर भू–प्रबंध अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2000 निरस्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट/प्रार्थी ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि आक्षेपित निर्णय अपीलांटस के पीठ पीछे अपीलांटस को बिना सुने पारित किया गया है जिससे अपीलांटस को आक्षेपित निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी थी । आक्षेपित निर्णय पेटेन्ट इलीगल निर्णय की परिभाषा में आता है । न्याय का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि पेटेन्ट इलीगल निर्णय को चुनौती देने की कोई मियाद नहीं है । इस संबंध में अधिवक्ता ने ए0आई0आर0 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज 1353 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

विद्वान अधिवक्तागण रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् निर्णय है। विवादित आराजियात की रिकार्डेड खातेदार मु. झूमली बेवा बेलीखा मुसलमान थी और उक्त भूमि करीम पुत्र इमामबक्ष मुसलमान शेख मूर्तहीन अव्वल एवं करीमबक्ष पुत्र सुभानीखां मुसलमान भिस्ती दोयम दर्ज थी । मु. झूमली बेवा बेली खां निसंतान फौत हो गयी थी । उक्त आराजियात पर रेस्पो0 का फसली सन् 1358 जिसके सन् 1951 होते है, से काबिज काश्त चले आ रहे है जिससे

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल0आर0/2467/2005/अजमेर** **ईद मोहम्मद व अन्य बनाम झमकू व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रेस्पो0 विवादित आराजियात के बॉय ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार काश्तकार हो चुके है । अपीलांट ग्राम केकड़ी के निवासी नहीं है । रेस्पो0 ने नगर पालिका, केकड़ी से फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर नामांतकरण संख्या 720 व 721 तस्दीक करवाया है जबकि उत्तराधिकार अधिनियम का प्रमाण पत्र सक्षम सिविल न्यायालय ही भारतीय उत्तराधिकार अधि0 की धारा 370 के तहत जारी करता है। उक्त नामांतकरण रेस्पो0 को सुने बिना तस्दीक किए गए है जो विधि विरूद्ध है । इन्हीं समस्त तथ्यों को ध्यान में रखकर भू–प्रबंध अधिकारी, अजमेर ने नामांतकरण संख्या 720 व 721 दिनांक 6.3.1997 को निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपील में विलंब के संबंध में जो कारण अंकित किए है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होने से अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के संबंध में अपीलांट के पक्ष में नामांतकरण संख्या 720 व 721 दिनांक 06.1997 को तस्दीक किया गया था । उक्त नामांतकरण के विरूद्ध रेस्पो0 झमकू वगैरह ने भू–प्रबंध अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में अपील पेश की । उक्त अपील में भू–प्रबंध अधिकारी, अजमेर ने अपने निर्णय में यह माना है कि वर्तमान अपीलांट संख्या 1 केकड़ी का निवासी नहीं है और

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल0आर0/2467/2005/अजमेर** **ईद मोहम्मद व अन्य बनाम झमकू व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नगर पालिका से फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर नामांतकरण संख्या 720 व 721 तस्दीक करवाया है जबकि उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र सक्षम सिविल न्यायालय ही भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 370 के तहत जारी करता है । हम भू–प्रबंध अधिकारी, अजमेर के निर्णय में लिये गये उक्त निष्कर्ष से सहमत है क्योंकि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र सक्षम सिविल न्यायालय ही भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 370 के तहत जारी कर सकता है ना कि नगर पालिका । हस्तगत प्रकरण में बिना क्षैत्राधिकार के नगर पालिका द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर वर्तमान अपीलांट के पक्ष में नामांतकरण संख्या 720 व 721 तस्दीक किए जाने से उक्त नामांतकरण भी विधि विरूद्ध है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में न्यपायालय भू–प्रबंध अधिकारी, अजमेर ने अपीलांट के पक्ष में तस्दीक नामांतकरण संख्या 720 व 721 दिनांक 06.03.1997 को निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है ।

परिणामतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा भू–प्रबंध अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2022 यथावत् रखा जाता है । यदि अपीलांट के विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार उत्पन्न होते है तो वह इस संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त कर चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है ।

पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे । तहत न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जावे ।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य